न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/90/2018	12-06-2018	16-01-2019

01–श्योजी पुत्र चन्दरू जाति बैरवा निवासी ग्राम कलसाड़ा, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज।
02–तोताराम पुत्र छोटेलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कलसाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज।
03–प्रकाश पुत्र छोटेलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कलसाड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01–तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 29.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 35/2017

उपस्थितः–

01–श्री कैलाश चन्द शर्मा —वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 29.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम कलसाड़ा की किस्म बारानी 3 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1400/0.08 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कलसाड़ा की किस्म बारानी 3 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1400/0.08 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र दिनांक 12.06.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा नहीं होना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा छपे–छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में आदेश जारी किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)